

**कार्यालय,
संपर्क, प्राविधिक विभाग परिषद्,
परतर प्रदेश लखनऊ।**

संभवा:- अधिकारी/परिषद् सम्बद्धता/2020/1871

लखनऊ: दिनांक: 18-9-2020

>कार्यालय छाप-

अधिकारी भारतीय लखनऊ की विभाग परिषद्, नई दिल्ली कार्यालय और इमिस्य, नई दिल्ली द्वारा
दिल्ली कार्यालय लखनऊ की विभाग संस्थाओं को अनुदोषन उदान दिए जाने के बाबत
प्राविधिक विभाग परिषद्, लखनऊ सम्बद्धता संभद्धता/सम्बद्धता विभाग प्रदान दिए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020
को अध्यक्ष प्राविधिक विभाग परिषद्, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय में दैनिक संसदन तुर्हि। दैनिक में
दैनिक द्वारा कार्यालय 2020-21 हेतु अधिकारी नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संबद्धित संस्थाओं की सम्बद्धता
विभाग/प्राविधिक प्रदेश भारता पूर्व संसदित काम बढ़ी पर विभाग करते हुए द्वारा प्रदान दिए
जाने का निर्णय लिया गया।

उदान के अनुदोषन में सम्बद्धता संसदित की दैनिक के बदले 3 में विभाग द्वारा कार्यालय संबद्धित करने
वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रदान रहा गया। सम्बद्धता संसदित द्वारा प्रदान विभाग-दिनांक का निर्णय
लिया गया—

“विभागीय दैनिक विभागों द्वारा कार्यालयीय प्राविधिक संबद्धित करने वाली संसदाएं, जो प्राविधिक विभाग
परिषद्, 2020 सम्बद्ध से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं कार्यालय 2020-21 हेतु प्राविधिकार्डि द्वारा एवं व्यापक अनुदोषन
विभाग प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में प्राविधिकार्डि द्वारा प्रदान दिए एवं अनुदोषन विभाग के अनुसार
एवं एवं व्यापक अनुदोषन प्राविधिक/प्रदेश भारता के काम कार्यालय 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विभाग
प्रदान दिए जाने पर संसदित द्वारा विभाग-दिनांक विभाग से एवं संसदित संसदित से प्राविधिकार्डि द्वारा कार्यालय
विभाग के अनुसार में कार्यालय 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विभाग दिए जाने का निर्णय दिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आगामी सम्बद्धता संसदित की विभाग में लिये एवं प्रदेश भारतीय के अनुदोषन में निम्न
लखनऊ के प्राविधिक विभाग परिषद्, 20-20 लखनऊ द्वारा कार्यालय 2020-21 हेतु निर्णयित तारीं के अधीन प्राविधिक एवं
संसदित अधिकारी प्रदेश भारता हेतु सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है—

क्रम संख्या	विभाग की विवरण	प्राविधिक का नाम	संसदितकार्डि द्वारा कार्या- लय 2020-21 में अनुदोषन प्रदान का नाम	प्राविधिकार्डि द्वारा कार्या- लय 2020-21 में अनुदोषन प्रदान का नाम
1	संसदित हाईकोर्ट अनुदोषन एवं नियमित संसदित अधिकारी, व्यापक संसदित, संसदित।	विभाग द्वारा कार्यालयीय	द्वारा कार्या- लय 2020-21 में अनुदोषन प्रदान का नाम	द्वारा कार्या- लय 2020-21 में अनुदोषन प्रदान का नाम

सम्बद्धता हेतु तारीं

- ✓ सम्बद्ध प्राविधिक विभाग परिषद् एवं 1802 एवं अधिकारी विभाग परिषद् दिनांकलाली 1802, संसदार
विभागवार्ष-2016 तक अन्य नियमि तिथि एवं अधिकारी का अनुदोषन तारीं तथा अनुक्रम नियमित अधिकारी द्वारा
नियमित शुल्क दीन विवर हाईकोर्ट अनुदोषन द्वारा एवं 30,100/- रुपये, एवं व्यापक संसदित प्राविधिक द्वारा एवं
45,000/- रुपये एवं एवं व्यापक संसदित विभाग प्रदान द्वारा एवं 22,000.
30 रुपये एवं शुल्क ही दरोंके द्वारा एवं व्यापक संसदित के अधीनित द्वारा एवं 22,000.
30 रुपये एवं शुल्क ही दरोंके द्वारा एवं व्यापक संसदित के अधीनित द्वारा एवं 22,000.

1000000

www.wiley.com/go/robinson/medicinal

四九六一 仲尼

प्राचीन विद्यालय, निषेध, अस्ति एवं राज्यका एवं राज्याभिनव शिक्षा एवं विद्या
एवं विद्यालयों के बारे में।

三

卷之三

सांख्यिकीय विधा परिषद्

लगार प्रदेश राजनीति।

संस्कार - प्राचीन परिचय संस्कार 2021-2027

संग्रह दिनांक: 09/08/2021

—२०५—

अधिक भारतीय लकड़ी की विक्री परिषद्, नई दिल्ली पालमीसी काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा ऐंडिक सर 2021-22 हेतु डिपोजी सर्वीस लकड़ी की विक्री संस्थाओं को अनुदेशन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक विक्री परिषद्, उमा लकड़ी का सम्बद्धता सम्बद्धता विक्रान्त प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - 08/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संबोध हुई। बैठक में समिति द्वारा सर 2021-22 हेतु आदेश नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से सांचालित संस्थाओं को सम्बद्धता डिस्ट्राइब्यूटर घोषणाम् द्वारा जल्मता सुनित अन्य मद्दों पर विकार करने हुए सर 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विक्रान्त प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में सिये गये निर्वाचित 2020-21 में नियुक्त सभा को प्रतिविधि लिखा गया, जो 20 सप्ताहांक द्वारा सार 2021-22 हेतु निप्रविष्ट रहने के अद्वैत पालनकाम एवं उसमें अंकित प्रोत्त प्रमाण हेतु सम्बद्धता सिवाय प्राप्त की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 4892-SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY GAHANI POST-AYAR VARANASI-221216

प्राप्ति संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आईडीसीटीडीएस/ पीडीसी-आईडी द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

• 10728 •

- ✓ संस्था ए०-आईटी०ली०इ०पी०निर०आ० द्वारा निपत्रित की गयी सभी सर्टी का पूर्णतः पालन करेगी।
 - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक विभाग परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक विभाग परिषद विनियमानाली 1992, सेमेस्टर हिनियमानाली-2016 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुवालन करेगी तथा युक्त निर्धारण समिति द्वारा निपत्रित युक्त तीन वर्षीय इ०ली०पालाक्षमी हेतु रु. ३०,३०,०००/- प्रतिवर्ष, तो वर्षीय फारमेंसी पालाक्षम हेतु रु.०-४५,०००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पालाक्षमी (दो वर्षीय फारमेंसी पालाक्षम के अतिरिक्त) हेतु रु.०-२२,५००/- प्रतिवर्ष युक्त ही प्रयोग तुलाधारा से त्राप्त हित जायेगा। उपलेख के अतिरिक्त तुलाधाराएं से युक्त के सम्बन्ध में सम्पर्क-समय पर शामन द्वारा निर्गत किये जाने काले शासनांदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यालयी किया जाना अवश्यक होगा। कीमा निरीक्षण समिति द्वारा यदि सार 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीकरण द्वारा तात्पूर होगी।
 - ✓ संस्था की (उ०३० प्राविधिक विभा समितिया तथा उप समितिया, संस्थाओं की समझ किया जाना) विनियमानाली-2000 की छठी का अनुवालन करना होगा।
 - ✓ संस्था में संयुक्त प्रेसीड परिषद द्वारा अवरित छठी को ही प्रवेश किया जायेगा। सीटों के विकास रह जाने की सिफारी में उत्तर प्रदेश शामन के निरीक्षण-युक्त ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
 - ✓ संस्था को सम्पर्क-समय पर निर्गत शासनांदेश के अनुसार निरीक्षण एवं समन्वयात् युक्त जल्द करना होगा।

- ✓ संस्था को ए०आईटीटी०ई०पी०सी०आई० से अनुमति सर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सासान द्वारा बहुधी गये विधिविधाने-अधिनियमों-साक्षातदेशी निर्देशों एवं नियोजन, प्राविधिक विधा, उपचा०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०२० तथा प्राविधिक विधा परिषद, उ०२० द्वारा कराये गये नियमों, विधिविधाने, आदेशों, नियोजों का पालन करने के लिये वापर होगी।
- ✓ हिंदौरीमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संख्या यदि पी.सी.आई., नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यकाली के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक विधा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक विधा नियोजनपत्र एवं प्राविधिक विधा विभाग उत्तर प्रदेश सासान को कोई वाद दायर किया जाता है तो वाद वाद के संबंध में मा० न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संभवी आदेश नियम किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संभवित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिंदौरीमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संवालित करने वाली संस्कारों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघरणकुल द्वारा प्रयोक्त वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वयित्रित प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर विविध कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वयित्रित के माध्यम से अन्य संस्था सरकार द्वारा दिये गये) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश कालाकार द्वारा प्रोत्साहन हेतु नियम नहींनियम आवश्यक नियमों का अनुवालन करना अवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वैकाशट पर संस्कृत की सामान्य सूचनाएँ जैसे संस्कृत की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, वाक, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सूक्ष्म, छाताकामा सूक्ष्म-आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रविधिक हेतु उपकुप्त कालाकार उपलब्ध कराने के साथ ऐसे रोकथम के संबंध में समस्त अवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पहुंचनीश्चित हो ते कि संस्था में प्रस्तावित संवालित पाठ्यक्रम को बदलाये जाने हेतु नियोजित समिति के बायक उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फार्मेसी, उपकरण इत्यादि का यदि हास्या द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तकाल संस्था की सम्बद्धता स्वाप्त किये जाने की अनुशासन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुवालन न किये जाने अवश्य वाली का उत्तराधिन किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

संचित

पृ०सं०- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिशिष्टि:-

प्रधानाधार्यनियोजक, SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY GAHANIPOST-AYAR VARANASI-221210



(सुनीत कुमार सोनकर)

संचित

कार्यालय,

सिंधु, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड।

संख्या:- प्राविधिकपरिषद सम्बद्धता/2022/7817

तारीख: दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय जाप:

अधिकृत भारतीय लक्ष्मीनारायणी की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालय कार्यालय संस्थान की अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 की परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संख्या हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नई संस्थानों की सम्बद्धता पूर्व से संलग्नित संस्थानों की सम्बद्धता विभाग/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता घोषित भवित अय मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2022-23 हेतु मिप्राक्षित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अनित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है।


संस्था का कोड एवं नाम : 4892-SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आर्ड०सी०टी०ई०	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आर्ड०सी०टी०ई० परिषद द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावाली 1992, विनियमवाली-2000, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा सम्पादनामय पर निर्धारित शासनादेशी का अनुदानन्द लाभें तथा युवक निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित युवक सेवा वर्षीय दृश्यों पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अधिकारिक) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष युवक ही प्रदेशक उत्तराखण्ड से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकारिक उत्तराखण्ड में युवक के सम्बन्ध में सम्पादनामय पर याचन द्वारा निर्धारित किये जाने काले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यालयी किया जाना आवश्यक होगा। कीर्ति निर्धारण नामिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु परिस का पुरुषीनायक नियम किया जाता है, तो परिस की नवीनीकरण दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संपूर्ण प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवधारित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को सम्पादनामय पर निर्धारित शासनादेशों के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता युवक ज्ञान करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विधिविधानों/विधिविधानों/शासनादेशों/नियमों एवं नियमावाली, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश कानूनों गये नियमों, विनियमों, अदेशों एवं नियमों का पालन करने के लिये बाधावाली है।

- ✓ यदि संस्था का प०-भाई०सी०टी०पी०सी०भाई० से अनुमोदन मिला किया जाता है तो इस संबंध में समझ उत्तरदायिक संस्था का होगा और प्रतिविधि कार्य से किसी भी कार्रवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिविधि किश्त परिषद्, सामुहिक प्रवेश परिषद्, प्रतिविधि किश्त मिटेशाला एवं प्रतिविधि किश्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विनाफ यदि कोई बाद दायर किया जाता है तब दायर बाद के संबंध में ना, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संशोधी आदेश निर्भीत किया जाता है तो समझ अनुमूलि संबंधित संस्था को करनी होती।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परिषद्, उत्तर प्रदेश लक्षणउत्तर प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु अपीलित काउन्सिलिंग प्राप्त होने के पूर्व ल०-भाई०सी०टी०पी०सी०भाई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्रवाही को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परिषद् के अधार परालीपे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सम्पाद-समाचार पर निर्भीत कार्रवाही आरक्षण नियमों का अनुफलन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं पैसे संस्था की लेटेस्टसिंक पुष्टि भूमि, स्टाफ, साझ-साझा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सूचक, उत्तराधार सूचक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को किश्त-प्रतिविधि हेतु उपलब्ध कालाकार उपलब्ध कराने के साथ ऐगिंग रोडने के सम्बन्ध में समझा आवश्यक अवधारणा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था में प्रस्तावित संबलित पालकाक्रम की वालाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के सम्बूद्ध उपलब्ध कराये गये अभियंत्र, भूमि-भवन, फर्मील, उपकरण इत्यादि का पहिं संस्था द्वारा किसी अन्य पालकाक्रम के संबोधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलेख का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्रवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का औचक स्थानीय निरीक्षण के दौरान पहिं संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साव-साक्ष ल०-भाई०सी०टी०पी०सी०भाई०परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं याज्ञ जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जाती का अनुफलन न किये जाने अवश्य जाती का उत्तराधार किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।


(एफ०-आर० खान)


संकिळ

प०स०-प्राप्तिपापरिषद् सम्बद्धता/2022/7818-6455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिविधि-

प्राप्तिपापरिषद्, SARASWATI HIGHER EDUCATION & TECHNICAL COLLEGE OF PHARMACY


(एफ०-आर० खान)

संकिळ